न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी श्री कमल कुमार मीना R.A.S

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसल
79/प्रा0पत्र/2020	13.11.2020	22.01.2021

राजेश कुमार आ0 हुम्ला जाति भील निवासी ग्राम सिविल लाईन्स, बृजराज कॉलोनी, नयापुरा कोटा जिला कोटा (राज0)

.......प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी (राज0)

.........अप्रार्थी

– : : निर्णय : : –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 136 भू–राजस्व अधिनियम

संक्षेप में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न तथ्य निवेदन किये कि:–

1. यह कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा संख्या 1978/1468 रकबा 0.6475 हैक्टेयर एवं कृषि भूमि खसरा संख्या 1979/1468 रकबा 0.6475 हैक्टेयर वाके ग्राम डाबी तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान मे विस्थित है। उक्त दोनो कृषि भूमियों के पुराने मूल नम्बर 1468 थे। उक्त कृषि भूमि के दक्षिण दिशा मे कृषि भूमि खसरा संख्या 1898/492 स्थित है तथा उपरोक्त अनुसार राजस्व नक्शे मे तरमीम हो रही थी।
2. यह कि वर्तमान समय मे तालेड़ा के खातेदारी भूमियों के रकबे व खसरा, नक्शा ट्रेस के तरमीम बीघा बिस्वा से हैक्टेयर मे परिवर्तन करते हुये राजस्व रिकार्ड के पुनरिक्षण प्रविष्ट्रियों व कम्प्यूटरीकृत ऑनलाईन इन्द्राज का कार्य चल रहा है जो लगभग पूर्ण हो चुका है।
3. यह कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित कृषि भूमि के नक्शा ट्रेस की ऑनलाईन कम्युटरीकृत प्रतिलिपी प्राप्त की जिसमें प्रार्थी की कृषि भूमि को राजस्व नक्शे मे पूर्व नक्शे अनुसार तरमीम नही कर राजस्व नक्शे मे जहां दक्षिण दिशा मे प्रार्थी के खाते की भूमि तरमीम हो रही थी उस स्थान पर कृषि भूमि खसरा संख्या 1898/492 अंकित कर दिये गये है। उक्त त्रुटि पूर्ण तरमीम कम्प्यूटर लिपिक के द्वारा सहवन से कर दी गई है । इस प्रकार प्रार्थी की भूमि के राजस्व नक्शे मे कृषि भूमियों की अदला–बदली कर तरमीम कर अप्रार्थी के द्वारा प्रार्थी के अधिकारों को प्रभावित किया गया है।
4. यह कि तहसीलदार तालेड़ा ने दिनांक 06/11/2020 को प्रार्थी का उक्त इन्द्राज दुरुस्ती का आवेदन पत्र लेने से इंकार कर दिया तथा मौखिक रुप से न्यायालय श्रीमान के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की सलाह दी इस कारण प्रार्थी श्रीमान के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है।
5. यह कि प्रार्थी को अधिकार है कि मानवीय न्यायालय से प्रार्थना पत्र मे वर्णित कृषि भूमि के इन्द्राज को पूर्व नक्शे के अनुसार एंव मौका स्थित के अनुसार राजस्व नक्शे मे तरमीम का इन्द्राज दुरुस्त करावे।
6. यह कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित कृषि भूमि वाके ग्राम डाबी तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान मे स्थित होने के कारण माननीय न्यायालय को उक्त वाद पत्र को सुनने का अधिकार प्राप्त है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत इन्द्राज दुरुस्ती स्वीकार फरमाकर तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जावे कि वर्तमान राजस्व नक्शे मे कृषि खसरा संख्या 1898/492 वाके ग्राम डाबी के स्थान पर कृषि भूमि खसरा संख्या 1978/1468 रकबा 0.6475 हैक्टेयर एवं कृषि भूमि खसरा संख्या 1979/1468 रकबा 0.6475 हैक्टेयर वाके ग्राम डाबी तहसील तालेडा जिला बून्दी अंकित कर राजस्व नक्शे मे तरमीम कर इन्द्राज दुरुस्त करें।

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी(राज0)

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण सं0 1 लगा0 3 स्वीकार है। च0सं0 4 अस्वीकार है। च0सं0 5 लगा0 7 कानूनी है। प्रार्थना प्रार्थी स्वीकार है।

साक्ष्य में प्रार्थी की और नकल जमाबन्दी खाता सं0 428 एवं 201 ग्राम डाबी संवत् 2076, पटवार मण्डल डाबी पटवारी मौका रिपोर्ट, प्रस्तावित नक्शा ग्राम डाबी, वर्तमान नक्शा ट्रेस ग्राम डाबी, पूर्व नक्शा ट्रेस ग्राम डाबी, स्वंय प्रार्थी का शपथ पत्र की प्रतियॉ पेश की।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबन्दी खाता सं0 428 एवं 201 ग्राम डाबी संवत् 2076 एवं पूर्व का नक्शा ट्रेस व वर्तमान तरमीम शुद्धा नक्शा ट्रेस व हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी वर्तमान मे राजस्व नक्शे में कृषि भूमि ख0 सं0 1898/492 वाके ग्राम डाबी के स्थान पर काबिज हैं तथा उक्त स्थान पर ख0सं0 1898/492 वाके ग्राम डाबी अंकित होना पाया गया है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेडा को आदेश दिया जाता है कि वर्तमान राजस्व नक्शे में कृषि भूमि ख0सं0 1898/492 वाके ग्राम डाबी के स्थान पर कृषि भूमि ख0 सं0 1978/1468 रकबा 0.6475 हे0, खसरा संख्या 1979/1468 रकबा 0.6475 हैक्टेयर वाके ग्राम डाबी अंकित किया जाकर इन्द्राज दुरूस्त किया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 22.01.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(कमल कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी(राज0)

Scanned with CamScanner